घरेलू कामगार महिलाओं का शोषण एवं कानूनी प्रावधान

सुनील कुमार सिंह (शोध छात्र)
प्रो0 दीपमाला श्रीवास्तव (प्रो0 समाजशास्त्र विभाग)
समाज विज्ञान संस्थान,
डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

सारांश

भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहॉ असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों की बहुत बड़ी संख्या है। अनेकों सरकारें आयी लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना अभी भी तैयार नहीं हुई है यहॉ तक कि, सूचना तकनीकी के युग में भी भारत में अंसगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या का आंकलन आज भी ठीक–ठीक नहीं है। सरकारी योजनाओं के अभाव में उनके वेतन, सेवा की अवधि एवं अन्य भत्तों का निर्धारण भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। इन सभी विषमताओं के कारण भारत के नियोक्ता भी लाभ ले रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को शोषण करते आ रहे हैं। इन्हीं में एक असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली घरेलू महिला कामगार है जो शिक्षित न होने के कारण तथा कानूनी ज्ञान न होने के कारण नियोक्ताओं के द्वारा उनका शोषण लगातार होता आ रहा है।

की–बर्ड:– महिला कामगार, नियोक्ता, असंगठित क्षेत्र, कानून

प्रस्तावना

21वीं सदी विज्ञान और तकनीकी की सदी होने के साथ–साथ भारत की सदी के रूप में जानी जाती है। लेकिन पूरे विश्व में आवादी के आधार पर जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत को तकनीकी के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। लेकिन इनके साथ–साथ पूरे विश्व को जनशक्ति प्रदान करने वाला देश भी है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2007–2008 तथा 2009–2010 के नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कुल कामगारों का 93–94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने बाले हैं। सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। असंगठित कामगारों की 52 प्रतिशत से अधिक संख्या कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे सबसे बडे क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा उद्योगों में नियोजि कामगार, घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, ओटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।

अंसगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां अधिकांश श्रम कानून लागू नहीं है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। उन्हें कोई सुनिश्चत रोजगार भी नहीं मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में रोजगार भी हमेशा नहीं रहता इसलिए काम की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसी कारण उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना रहता है क्योंकि काम की स्थिरता न होने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। शहरों में वह झुग्गी झोपड़ी या गन्दी वस्तियों में रहते हैं वहॉ शोचालय का प्रबंध भी नहीं होता है। स्वास्थय संव एवं अन्य प्रकार की सेवा जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं लेकिन उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1932, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आदि में वर्णित वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सभी सुविधाओं का लाभ न मिलने का तात्पर्य शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं।

घरेलू कामगार की सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं

देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यवसायिक समूहों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया है। किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब भी नहीं हैं। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए एक बड़ी असुरक्षा उनका बार–बार बीमार पड़ना तथा कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देखभाल तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त भी इनकी बीमारी भारत में मानव के वंचित रहने के सर्वाधिक कारणों में से एक बनी हुई है।

इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य के जोखिम के कारण निर्धनता बढ़ती है। निर्धन व्यक्ति इसकी लागत या इच्छित लाभ की कमी के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं। स्वास्थ्य बीमा करना और इसे लागू करना ग्रामीण क्षेत्रों या कमागारों के लिए कठिन कार्य है। इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत समझते हुय केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की है। सरकारी आंकडों के आधार पर इस योजना के अर्न्तगत 25 मार्च 2013 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के आधार पर 34,285,737 स्मार्ट कार्ड और 5,097,128 अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। पिछले समय में सरकारों ने राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया है। जबकि अधिकांश योजनाएं एवं कार्यान्वयन के तरीकों के कारण वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुयी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कामगारों के लिए ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की जिसमें पिछली कमियों को ही ठीक नहीं किया गया बल्कि योजना को विश्व स्तरीय मॉडल भी प्रदान किया गया है। इस मॉडल को बनाने से पूर्व वर्तमान और पूर्व स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की एक आलोचनात्मक समीक्षा के द्वारा लाभकारी नीतियों को इसमें जोड़ा गया है।

महिला कामगारों के कानूनी अधिकार

भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों की बहुत बड़ी संख्या है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2007–2008 तथा 2009–2010 के नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कुल कामगारों का 93–94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने बाले हैं। सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। असंगठित कामगारों की 52 प्रतिशत से अधिक संख्या कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, दूसरे सबसे बडे क्षेत्र में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा उद्योगों में नियोजि कामगार, घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, ओटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं। अंसगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां अधिकांश श्रम कानून लागू नहीं है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। उन्हें कोई सुनिश्चत रोजगार भी नहीं मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में रोजगार भी हमेशा नहीं रहता इसलिए काम की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसी कारण उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना रहता है क्योंकि काम की स्थिरता न होने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। शहरों में वह झुग्गी झोपड़ी या गन्दी वस्तियों में रहते हैं वहाँ शोचालय का प्रबंध भी नहीं होता है। स्वास्थय संव एवं अन्य प्रकार की सेवा जो संगठित क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं लेकिन उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1932, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आदि में वर्णित वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सभी सुविधाओं का लाभ न मिलने का तात्पर्य शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं।

आज़ादी के 70 साल का सफर तय करने के बाद देश ने भले ही कुछ मामलों में ऊँचाइयों को छू लिया हो लेकिन गरीबी और गरीबी की आड़ में यौन शोषण के मामले में कमी नहीं आई है या कहें पहले से ज़्यादा मेहनतकश महिलाएँ यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। खासकर गरीब परिवार की वे महिलाएँ जिनकी जीविका का एक मात्र साधन मेहनत मजदूरी है। कहने को तो गरीब परिवारों की ये महिलाएँ मज़दूरी करके परिवार की माली हालात को बदलने के लिए गाँव से बाहर निकलती हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। किन–किन यातनाओं से इन्हें दो चार होना पड़ता है इसे वे भुक्तभोगी महिलाएँ ही सच–सच बता सकती हैं। घर की माली हालत सुधारने के लिए घर से निकली मजदूर महिलाएं बेहतर जिंदगी के सपने शहर लेकर आती हैं। लेकिन उनका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब वे दलालों के ज़रिए ठेकेदारों तक पहुँचती हैं और ठेकेदार मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू करता है। जब उन्हें ठेकेदार और गैंग मास्टर अच्छे दिन आने के सपने दिखाता और बार– बार उनकी माली हालात बदलने का वादा करते रहते हैं तब महिलाओं को यकीन हो जाता है कि अब उनके दिन अच्छे आने वाले हैं और बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। दरअसल, ठेकेदार जो रंगीन सपने दिखाता है उससे महिलाएँ अभिभूत हो जाती हैं। उन्हें भी लगता है, ठेकेदार बाबू देवता हैं। जिससे उसकी गरीबी से उबरने में मदद जरूर मिलेगी। लेकिन, उन्हें क्या मालूम कि जो सपने ठेकेदार दिखा रहा है उसके पीछे का असली सच क्या है। ठेकेदार उन महिलाओं और लड़कियों को काम के लिए चुनता है जो देखने सुनने में सुंदर और आकर्षक होती हैं। मेहनत मज़दूरी के लिए लगाने के पीछे ठेकेदार का मूल मकसद उनका शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करना होता है। जिसके लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें महिला या लड़की के पति या पिता को शराब की पार्टी देना और हजार–पंद्रह सौ हाथ में रखना शामिल है। दलालों के ज़रिए ठेकेदार के पास महिला मज़दूर के पहुँचते ही वह उन्हें अपनी सम्पत्ति मान बैठता है। फिर शुरू हो जाता है शोषण का अंतहीन सिलसिला।

ये महिलाएँ अधिकांशतः दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब जैसे राज्यों में मजदूरी के लिए लाई जाती हैं और उनसे मजदूरी की आड़ में उन्हें यौन–शोषण और जिस्म–फरोसी के धंधे के लिए मजबूर किया जाता है। इनमें ज्यादातर गरीब घर की महिलाएँ ही नहीं ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो देखने में आकर्षक और सुंदर होती हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगाबुआ, छतरपुर, धार, टीकमगढ़ के तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ फरवरी–मार्च में सबसे अधिक पलायन होता है। ये जिलें हैं–पन्ना, दतिया, बैतूल, झाबुआ, छतरपुर, धार, टीकमगढ़ शिवपुरी, मुरैना और शहडोल। इन जिलों के कुछ गाँवों की 60 से 70 प्रतिशत महिलाएँ परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए पलायन करती हैं। कहने को तो ये पुरूषों की मदद के लिए शहरों की ओर रुख करती हैं लेकिन हकीकत यह है कि ठेकेदार के बहकावे में आकर ये अपना घर बार छोड़कर आती हैं। इनसे जहाँ ठेकेदार श्रम कानून की धज्जियाँ उड़ाकर काम लेता है वहीं पर अधिक पैसे का लालच व नौकरी का झाँसा देकर इनका भरपूर यौन शोषण करता है। इनमें से ज्यादातर लड़कियाँ ठेकेदार की ठगी का शिकार होती हैं। मध्यप्रदेश के कई इलाकों में एनजीओ कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में ऐसे दलालों का जाल फैला है जो गरीब परिवार से सम्पर्क करके उस परिवार की जवान लड़की को काम पर भेजने के लिए, उस परिवार के मुखिया को पैसे और शराब के जरिए राज़ी करते हैं। राजी होने पर गाँव की अनेक लड़कियों को ट्रेक्टर, बस और ट्रकों में भरकर निकटतम रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है। फिर वहाँ से उन शहरों की ओर रुख किया जाता है जहाँ उन्हें काम दिलाने का भरोसा दिलाया गया होता है। शहर पहुँचते ही ठेकेदार अपने असली रूप में आ जाता है और लड़कियों को ऐसे सपने दिखाता है कि लड़की उसकी हर बात पर यकीन करने लगती है। फिर शुरू होता है असली खेल। जो ठेकदार और उसके साथी दलाल मिलकर खेलते हैं। यदि कोई लड़की यौनाचार का विरोध करती है तो उसे प्रताड़ित कर चुप करा दिया जाता है या उसे मौत के मुँह में धकेल दिया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और दक्षिण के कुछ राज्यों में महिलाओं और लड़कियों के हालात कई मामलों में बहुत त्रासदीपूर्ण है। आज़ादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत, सामंत और महाजन से प्रताड़ित होने वाली महिलाएँ आज़ादी के बाद नौकरशाहों, नए सामंत नेता–विधायक और ठेकेदारों के जरिए प्रताड़ित होने लगीं। आज भी तमाम बदलावों के बाद भी इनकी स्थिति में कोई खास बदलाव आया हो, दिखाई नहीं पड़ता है। परंपरा, प्रथा और बेबसी की चक्की में पिसना उनकी नियति हो गई है। खासकर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हालात बहुत खराब है। मंहगाई और भुखमरी की सबसे अधिक मार यदि किसी को झेलनी पड़ रही है तो उन महिलाओं को जो मज़बूरी में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मज़बूर होती हैं। पुरुष चाहता है उसकी माँ, बहन, बेटी और पत्नी उसके ऊपर निर्भर न होकर उसके साथ काम पर जाएं और परिवार चलाने के लिए पैसा कमाएं। इसका फायदा ठेकेदार, दलाल और महिला के परिवार के करीबी उठाते हैं। मध्यप्रदेश के भीमपुर विकासखंड की हालात बयाँ की जाए या उड़ीसा के कालाहाड़ी की एक जैसी है। लगभग हर परिवार की महिलाएँ भुखमरी की शिकार हैं और परिवार चलाने के लिए मेहनत मज़दूरी करने के लिए देश के बड़े शहरों में दलालों के मार्फत ठेकेदारों के रहमोकरम पर रहने के लिए मजबूर होती हैं। एनजीओ के अलावा, इन गाँवों की सुधि लेने न कभी शासन की ओर से कोई नेता–मंत्री आता है और न तो प्रशासन की ओर से ही कोई बड़ा अधिकारी। ठेकेदार छोटे अधिकारियों को खिला–पिलाकर अपने काबू में किए रहते हैं।

देश में हर साल ऐसी लाखों महिलाएँ और लड़कियाँ ठेकेदारों और दलाल नर पिशाचों की शिकार होती हैं। गरीब होने के कारण उनकी न तो पुलिस में कोई सुनवाई होती है और न तो समाजसेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ ही उनकी आवाज़ को शासन और प्रशासन के बहरे कानों तक पहुँचाने में मददगार बनते हैं। ज़ाहिर है कही न कहीं एनजीओ को भी ठेकेदारों और दलालों से पैसा मिलता है जिससे यौन–शोषण का यह राक्षसी धंधा लगातार चलता रहता है। कहने को तो देश में अनेक श्रम कानून हैं। जिनमें ठेका मजदूर अधिनियम और प्रवासी मजदूर अधिनियम जैसे श्रम कानून शामिल हैं लेकिन इनका असर ठेकेदारों और दलालों पर नहीं दिखाई पड़ता। मानवाधिकार की बात करने वाली सरकारें, संगठन, एनजीओ, समाजसेवी दीनहीन व बेबस इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात तो करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे ठीक विपरीत है। महिला मज़दूर जब शारीरिक, मानसिक और यौन–शोषण का शिकार होकर पुनः अपने घर लौटती हैं तो उसकी हालात पूरी तरह बद से बदतर हो चुकी होती है। मध्यप्रदेश के इमलीडोह गाँव की गोमती सपने लेकर दिल्ली आई थी। कुछ ही महीनों में उसके साथ अनेक बार ठेकेदारों और दलालों ने बलात्कार किया। वह सदमें में इतनी टूट चुकी थी कि अपनी हालात को शब्दों में बयां करने में भी सक्षम नहीं थी। घर पहुंचते ही चौथे दिन रात में उसने चुपचाप कुएँ में कूद कर आत्हत्या कर ली। इस बाबत न तो गरीब परिवार ने पुलिस में कोई मामला दर्ज कराया और लोकलाज के कारण न तो किसी से ज़िक्र ही किया। गोमती के घर वालों को डर था, रसूकदार ठेकेदार कहीं उनके लिए मुसीबत न बन जाएँ और उन्हें घर छोड़ना पड़े। ऐसी न जाने कितनी वारदातें आएं दिन महिला मज़दूरों के साथ होती हैं, लेकिन वे कहीं जमाने की बिदकती हवा में गुम हो जाती हैं। ऐसी वारदातों को न मीडिया में जगह मिलती है और न तो प्रशासन के लोग ही किसी तरह की कार्रवाई जुल्म करने वालों पर करते हैं। पुलिस के पास जाने से गरीब व्यक्ति वैसे भी डरता है। उसे लगता है, पुलिस वाले उल्टे उन्हें ही फँसा देंगे और उन्हें दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। मज़दूरी की आड़ में दलालों, ठेकेदारों और मालिकों की मनमानी कब तक चलती रहेगी? कब तक सड़क, भवन, पुल, महल और रेल की पटरियां बिछाने वाले लोगों को विपदा का बिछौना बनना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब न तो शोषितों के पास है। और न तो इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के पास। रोज़गार दिलाने की आंड़ में यौन शोषण का यह धंधा वाकई में समाज के लिए कलंक और सामाजिक विकृति से कम नहीं है। इससे छुटकारा महिलाओं को कब मिलेगा, इस तरफ सभी को गौर करने की ज़रूरत है।

देश में महिला कामगार के लिए कुछ ही कानून बने है। जो मोटे तौर पर घरेलू कामगारों को भी श्रमिक का दर्जा देते हैं। पहला असंगठित कर्मकार **सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008** और दूसरा कार्यस्थल मे महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर **लैंगिग उत्पीडन रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013** बनाया गया है जिसमे घरेलू कामगार महिलाओं को भी शामिल किया गयाा है। ये दोनों ही अधिनियम 2013 बनाया गया है, जिसमे घरेलू कामगार महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये दोनों ही अधिनियम महिलाओं को न्याय प्रदान करने वाले हैं। **प्रथम** असंगठित मजदूरों की **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण** से जुडे मामलों में काम करता है और **दूसरा** कार्य करने वाली **कामगार महिलाओं की सुरक्षा** के लिए बनाया गया था। कुछ ऐसे कानून भी बनाये गये हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी से संबधित कानून (1948), इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट (1967), समान भुगतान से संबधित कानून (1923), मुआवजा से संबंधित कानून (1948) लेकिन अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बना जो एक समान रूप से सभी घरेलू कामगारों को न्याय दिला सके, जिससे घरेलू कामगारों की कार्य दशा बेहतर हो और उन्हें उनके कार्य का उचित भुगतान मिल पाए।

गैर–सरकारी संगठनों (Non Government Organisation) के अथक प्रयासों से सरकारों द्वारा समय–समय पर घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने का प्रयास किया, आजादी के उपरांत सन् 1559 में घरेलू कामगार बिल उसके कार्य की परिस्थितियॉ आदि को निर्धारित कर बनाया गया। लेकिन यह बिल केवल कागजों तक ही सिमटकर रह गया। इसके बाद नई सहस्राब्दी मे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने वर्ष 2004–07 में घरेलू कामगारों के लिए एक नया बिल **घरेलू कामगार विधेयक**, को तैयार किया गया। इस विधेयक में उन सभी मजदूरों को कामगार का दर्जा दिये जाने की बात कहीं जो किसी भी रूप में घर में काम करता है, चाहे वह बाहरी व्यक्ति हो या स्थाई, अस्थाई, अंशकालिक या पूर्ण कालिक या किसी भी एजेंसी के द्वारा ही क्यों न नियुक्त किया गया हो, उन सभी को घरेलू कामगार की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

घरेलू कामगार के अधिकार

घरेलू कामगार के अधिकारों के विषय में उनको दिया जाने वाला वेतन, साप्ताहिक छुटटी, कार्यस्थल पर उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं, काम के घंटे, काम से जुड़े जोखिम और हर्जाना समेत सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस विधेयक को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। घरेलू महिला कामगारों के अधिकारों की बात करें तो मानवाधिकार की बात सबसे पहले करनी पड़ेगी। मानव को मानव की भॉति सम्मानित जीवन जीने का अधिकार की मानवाधिकार है। विश्व में सभी को मान–सम्मान से जीन का अधिकार है और इस अधिकारों की रक्षा मानवाधिकार ही करता है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों से सम्बन्धित निम्न अधिकारों को स्थान दिया गया है, यथा सभी को **समान अधिकार, जात–पात, धर्म–वर्ण–वंश, जन्म–स्थान** के नाम पर **भेदभाव** न करना, **जीने** का अधिकार, **जीविका** का अधिकार, **स्वस्थ** रहने तथा **चिकित्सा** का अधिकार, **व्यवसाय** चयन का अधिकार, अपने–अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कर्म करने का अधिकार, **स्वतंत्रता** का अधिकार, **आचरण** एवं क्रिया–कलापों का अधिकार आदि। दुनिया के अनेकों देशों में महिला कामगारों के लिए विशेष अधिकार दिये गये हैं, जिनके द्वारा वे समाज में सम्मानजनक तरीके से रह सकें। मानवाधिकारों के अनुसार महिलाओं को मुख्य रूप से व्यवहार करने के योग्य समझा गया है। अनेक महिला आंदोलनों के द्वारा एक तरफ महिलाओं को अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है वहीं महिलाओं के प्रति अपराध भी अधिक मात्रा में बढ़े हैं। घरेलू कामगार महिला के मानवाधिकार का हनन केवल अपराध ही नहीं है बल्कि पुलिस व अन्य सरकारी एजेंसियॉ भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं हैं। सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को आसानी से अंजाम दिया जाता है। इसलिए दुनिया में महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। प्रत्येक स्थान पर चाहे घर हो या बाहर या फिर स्कूल हो या कार्य स्थल, महिलाओं को अनेकों प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है।

संयुक्तराष्ट्र में महिलाओं संरक्षण एवं महिला व पुरूषों के मूल्यों, सम्मान, और उनकी गरिमा एवं उनके मानवाधिकारों एवं अधिकारों के लिए घोषणा की गयी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में भी महिलाओं के अधिकारों को किसी भेद भाव के बिना उनके अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी को सम्मानपूर्वक जीने की आजादी दी गयी है, लेकिन घरेलू कामगार महिलाओं को हर पल असुरक्षा की भावना का बोध होना स्वाभाविक है। वह हमेशा असुरक्षा की स्थिति में जीने को विवश हैं, इसके लिए जरूरी है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा घरेलू कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए **डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल स्क्योरिटी** बिल बनाया गया है। जिसमें रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिला स्तर से शुरू कर राज्य सरकारें और केंन्द्र सरकार के स्तर तक एक बोर्ड बनाकर कामगारों के अधिकार सुनिश्चित करने को स्पष्ट किया गया है। लेकिन कई वर्षों से इस बिल को अभी तक कानून का असली जामा नहीं पहनाया गया है। जिसके कारण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, कार्य के

घंटे, अवकाश, कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का मातृत्व अवकाश, पालना घर, काम करने के माहौल, वेतन और अन्य सुविधाओं से जुडे कोई भी दिशा निर्देश अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। हालॉकि सरकार के द्वारा घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है जिसमे उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सहित कई अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इस नीति को श्रम मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जा रहा है जिससे कामगारों के श्रम में सुधार एवं बढ़ावा मिलेगा एवं घरेलू कामगारों को कामगार के रूप में पंजीकरण के साथ अन्य सुविधाओं एवं कामगारों के रूप में मिलने वाले अधिकार भी मिलना प्रारम्भ होगें। घेरलू कामगारों को पंजीकरण के बाद संगठन बनाने का भी अधिकार प्राप्त हो जायेगा, चूंकि अभी तक घरेलू कामगारों के हितों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का संघ नहीं है जो उनके हितों की रक्षा कर सके। घरेलू कामगारों के लिए उनकी मजदूरी के निर्धारण के लिए अभी कोई मानक नहीं जिससे घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को तय किया जा सके। इसी कारण घरेलू कामगार कम मजदूरी में काम करने के लिए वाद्यय रहता है। इस नीति के अस्तित्व में आने के बाद घरेलू कामगारों को कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेगा साथ ही प्लेसमेंट एजेंसियों के गठन का का रास्ता भी साफ जो जायेगा।

जहां असंगठित क्षेत्र में नियोजन की श्रेणियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, कार्य स्थल पर बेहतर वातावरण प्रदान करने हेतु कुछ ही श्रेणी हैं।

1. डॉक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948

2. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) 1966

3. अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियमन) 1984

4. सिनेमा कर्मकार एवं सिनेमा थिएटर कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम नियम 1984

5. भवन एवं अन्य निर्माण कार्य (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996

6. हस्त चालित खनिक नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

असंगठित कामगारों के सभी वर्गो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार ने शसक्त कानून असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 लागू किया है। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 तथा असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मकारों के हितों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समुचित प्रचार की आवश्यकता है।

कानूनी सेवा प्रदान करने हेतु योजना

यहॉ जो कामगारों के लिए कानून दिये गये हैं इन अधिनियमों के द्वारा कामगारों के जीवन में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं। इनके निम्नाकिंत कारण हैं।

1. सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 वैधानिक दृष्टि से योजना को लागू करने की कोई प्रक्रिया प्रतिपादित नहीं करता है एवं ऐसा लगता है कि योग्य कामगारों को येाजना के लाभों के लिए संबंधित प्राधिकरणों के इनकार के विरूद्व स्वीकृति नहीं है।

2. कुछ ही राज्यों में सामाजिक सुरक्षा बोर्डो का गठन अधिनियम 14 के अंतर्गत किया गया है। परिणामस्वरूप कई राज्यों के असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनायें भी नहीं चलाई जा रही जहॉ योजनाएं हैं उन राज्यों में कोई निगरानी भी नहीं हो रही है। यह भी देखा गया है कि जिन राज्यों में भवन एवं अन्य भवन निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नहीं है वहॉ कोई सुरक्षा योजना भी कामगारों के लिए नहीं है।

3. जिन राज्यों में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कर भी लिया जा रहा है लेकिन उसका लाभ सभी कर्मकारों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसके लिए कर्मकारों का पंजीकरण न के बराबर है।

4. सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों की जानकारी कामगारों को नहीं है, इसका अधिक प्रचार–प्रसार भी नहीं होता है क्योंकि असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनपढ़ होने के कारण ज्यादातर योजना से अवगत नहीं होते हैं।

5. कामगार सुविधा केन्द्र जैसा कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में बताया गया है वास्तविकता में ऐसा नहीं है।

6. प्रत्येक प्रकार की योजना के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ता है ऐसी दशा में समय के अभाव एवं प्रक्रिया के जटिल होने के कारण उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है।

विधिक सेवा संस्थाएं लागू करने वाले प्राधिकरण एवं लाभार्थियों के बीच एक पुल रूप में कार्य करने के कारण उनकी दूरी कम हो सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा की केंन्दीय प्राधिकरण की बैठक जो वर्ष 2010 में आयोजित हुई थी, में एक योजना को अपनाया है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवा) योजना, 2010 है। जरूरतमंद कामगारों के लाभ के लिए कानून बनने के कई वर्षों के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है यह समस्या और भी अधिक होती जा रही है, अतः इस क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में होनेवाले संशोधन इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैं जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता विनियमन, 2011 के अन्तर्गत परिभाषित हैं। इस योजना को ही नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 कहीं जाती हैं। इस योजना के अतंर्गत निम्नाकिंत उद्देश्यों का रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य निम्नवत है।

1. सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना।

2. सरकारी प्राधिकरण से सहयोग कर तथा जनहित याचिका द्वारा विधान/क्रियान्वनयन में दूरी को समाप्त करना।

3. राज्य सरकारी तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का प्रयोग सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान कराना व उन्हें पंजीकृत कराना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुँचाना।

4.कामगारों को वैधानिक प्रावधानों तथा कामगारों को कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता प्रदान करना है।

5.कामगारों में वर्तमान विधान एंव योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में सूचनाओं को प्रसारित करना है।

6.अंसगठित क्षेत्रों के सभी वर्गो के कामगारों की अनेक वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं के अन्तर्गत संबंधित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण के लिए सहायता एवं विधिक सलाह देना।

7.कामगारों को योजना के लाभों को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी योग्यता के अनुसार पंजीकृत हैं।

सुझााव

उपरान्त घरेलू महिला कामगारों की दशा में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव है जिसमें–

1. महिला कामगारों हेतु विशेष सेलों की स्थापना की जाय। जिसमें माध्यम से उन्हें विधिक सेवा प्रदान की जाय साथ ही उनके पंजीकरण तथा उन्हें सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूक भी किया जाय, जिससे सरकारी की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके।

2-विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष सेल बनाए जो अलग से केवल इसी सेवा पर नजर रखेगा। सेल में एक पैनल अधिवक्ता जो श्रम विधि में विशेष अनुभव रखता हो, एक सलाहकार जिसके पास आवश्यक योग्यता सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य अनुभव हो, जहॉ तक संभव हो, किसी एन.जी.ओ का प्रतिनिधि जिसका इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो ऐसी संख्या में सर्वाधिक स्वयंसेवी होंगे जैसा कि राज्य प्राधिकरण निर्धारित करे।

3-**सेल के निम्न कार्य होंगे**

a) संगठित कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी ज्ञान, साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना एवं चलाना।

b) असंगठित कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने व पंजीकरण के संबंध में सरकारी प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।

c) असंगठित कामगारों को योजनाओं के हित प्राप्त करने हेतु प्रपत्र भरवाने में सहायता प्रदान करना एवं पंजीकरण प्रपत्र भरने एवं योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

d) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके दावे में कानूनी सलाह व कानूनी सहायता प्रदान करना जो उन्होंने किसी न्यायालय या प्राधिकरण में संस्थित किया हो।

e) अन्य कोई कार्य जो राज्य प्राधिकरण उनके लिए नियत करे।

4-विशेष सेल सदस्य सचिव की सलाह या राज्य प्राधिकरण द्वारा नामांकित किसी दूसरे अधिकारी की सलाह से काम करेगा तथा उसके द्वारा दिये गये कार्यो की प्रगति की एक आवधिक रिपोर्ट विशेष सेल द्वारा फालल की जायेगी। सेल के सदस्यों को उनके द्वारा किये गए कार्यों का मानदेय दिया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा तय किया जायेगा।

5-**असंगठित कामगारों की पहचान हेतु–**

a) विधिक सेवा संस्था का पहला काम उनके क्षेत्र में असंगठित कामगारों की संख्या एवं उनके वर्गों का राज्यों के सामाजिक कल्याण विभाग एवं श्रम विभाग के पास उपलब्ध तथ्यों से पता लगाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं या विधि विद्यार्थियों या उस क्षेत्र के एन.जी.ओ. की सहायता से सर्वेक्षण किया जा सकता है।

b) पहचान करने की विधि में विशेष प्रयास इस बात पर रहे कि कहीं कोई बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर हो तो उसकी भी पहचान ही जाए एवं अगर इन प्रतिबंधित वर्गो का कोई कामगार पाया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे संबंधित प्राधिकरण को सूचित करे एवं उनक बचाव में सहायता करे, उन्हें रिहा कराने एवं उनके पुनर्वास हेतु पहल की जाए जैसा कि बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 बालक प्रतिशेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में उपबंधित किया गया है।

c) राज्य प्राधिकरण क्षेत्र, आबादी एवं दूसरे अंश के आधार पर सारे वर्गों की पहचान के लिए एक समय सीमा बांध सकती है।

6-**कार्य की शर्ते एवं न्यूनतम मजदूरी–**

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग एवं स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से काम की शर्ते एवं वैधानिक नियम एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है जो विशेषतः असंगठित कामगारों के वर्गो, घरेलू कामगारों के लिए, होगा। यदि आवश्यक हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसे प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।

7-**कार्य की शर्ते एवं न्यूनतम मजदूरी**

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य एवं जिला प्रशासन के सहयोग एवं स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से काम की शर्तें एवं वैधानिक नियम एवं न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है जो विशेषतः असंगठित कामगारों के वर्गों, घरेलू कामगारों के लिए होगा। अगर आवश्यक हो तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसे प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।

8-**कानून के अधीन सरकारी योजनाएं**

विधिक सेवा प्राधिकरण उनके राज्य में चल रही असंगठित क्षेत्रों की योजनाओं को प्रकाशित कराने के लिए राज्य सरकारों को कहेगी यदि आवश्यक हुआ तो यह कार्य माननीय कार्यपालक अध्यक्ष की सहमति से जनहित याचिका द्वारा भी कराया जा सकेगा।

9-**कानूनी जागरूकता**

a) प्रत्येक वर्ग के असंगठित कामगारों की पहचान के बाद, भिन्न–भिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का प्रबंध किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय जो इन वर्षों के लिए हैं उनके संबंध में जागरूकता फैलायी जाय। इसके लिए विशेष सेल, असंगठित कामगारों के लिए कानूनी साक्षरता शिविर भी लगाया जाय।

b) सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण ऐसी पुस्तिकाएं, पेम्पप्लेट प्रकासित करें जिसमें उपलब्ध योजनाओं, उनके लिए योग्यता मानदंड एवं कामगारों की जरूरतों के अनुसार हितों की प्राप्ति के लिए पंजीकरण के तरीके का विवरण दिया गया हो। पुस्तिकाएं, पेम्पप्लेट की प्रतिषं स्वागत कक्ष, विधिक सेवा क्लिनिक, विशेष सेल स्थल पर उपलब्ध रहें एवं इन्हें कानूनी जागरूकता, साक्षरता कार्यक्रम में बांटा जाय।

c) उपरोक्त सभी जानकारियों से संबंधित सूचना दूरदर्शन, आकाशवाणी व क्षेत्रीय रेडियो के माध्यम से भी प्रसारित की जाय।

d) राज्य के श्रम एवं कल्याण विभाग से निवेदन किया जाय कि विधिक सेवा संस्थाओं एवं विशेष सेल के सदस्यों के टेलिफोन नंबरों व हेल्पलाइन नम्बरों को प्रकाशित किया जाय।

10-**कामगारा सहायता केंन्द्र**
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के श्रम विभाग से 2008 अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिए गए कामगारों के लिए सहायता केन्द्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। वे विधिक सेवा क्लीनिक भी स्थापित कर सकते हैं जिन्हें इन केन्द्रों से जुड़े विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वयंसेवीगण या एन.जी.ओ संचालित करें।

11-कानूनी सहायता एवं कानूनी प्रतिनिधित्व असंगठित कामगारों के लिए गठित विशेष सेल, सभी असंगठित कामगारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किसी न्यायालय अथवा प्रधिकरण जैसी आवश्यकता हो, के समक्ष परामर्श सहायता व कानूनी सेवा उपलब्ध करायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1- Journal of National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation National Statistical Office New Delhi, 2020

2- श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट, रोजगार एवं सांख्यिकी मंत्रालय, 2007–2008.

3- https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/social-security-must-be-ensured-for-domestic-workers

4. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/social-security-must-be-ensured-for-domestic-workers

5. https://yourstory.com/hindi/8416d1068d--39-kill-the-work-of-war-39-violence-39-and-injured-woman-39-worker-39-

6- Hindustan Times, July 16, 2017: http://www.hindustantimes.com/india-news/overworked-underpaid-abused-inside-the-world-of-india-sdomestic-workers/story-IpmmGUfMxPqM5H1JR6QYCL.html

7- https://www.patrika.com/work-life/house-maids-in-india-and-their-respect-2724376/

8- https://hindiraj.com/organised-un-organised-sectors.

9. डा0 अंजली दीक्षित, विश्र बाल निषेध 2020,

10. भारत सरकार, भारतीय श्रम आयोग, 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17, सामाजिक क्षेत्र खंड–3